

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 27, 1979/माघ 7, 1900
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 27, 1979/MAGHA 7, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1979

का०आ० 55(अ)/15/आई०डी०आर०ए०/79.—सैसर्स न्यू जहांगीर वकील लिमिटेड, भावनगर नामक औद्योगिक उपक्रम, अनुसूचित उद्योग, अर्थात् सूती वस्त्र उद्योग, में लगा है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ऐसी रीति से किया जा रहा है, जो अनुसूचित उद्योग तथा लोक हित के लिये प्रति अर्पण कर है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मामले की परिस्थितियों का पूरा तथा सम्पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, व्यक्तियों के एक निकाय की नियुक्ति करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. डा० के० आई० नरसिम्हन,
13, के० ए० सुब्रह्मण्यम मार्ग, मुम्बई-19 —अध्यक्ष
2. श्री टी० एस० बी० पाण्डुरंग सम्रा,
संयुक्त निवेशक (निरीक्षण), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय,
(कम्पनी विधि बोर्ड), पांचवीं मंजिल एबरेस्ट, 100, मेरीन ड्राइव, मुम्बई-2; —सचिव

- | | |
|--|--------|
| 3. श्री एन० जी० रात्रिया,
एफ० ए० तथा सी० ए० प्री०, राष्ट्रीय वस्त्र निगम (गुजरात), ग्रहमदाबाद, | —सदस्य |
| 4. गुजरात सरकार का नामनिर्देशित | —सदस्य |
| 5. श्री इंदु शेखर राव,
निदेशक, वस्त्र प्रायुक्त का कार्यालय,
पोस्ट बाक्स सं० 11500, मुम्बई-20। | —सदस्य |

उपर्युक्त निकाय अपनी रिपोर्ट राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर दे देगा।

[फा० सं० 5/1/79-सी०यू०सी०]

पी० सी० नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th January, 1979

S.O. 55(E)/15/IDRA/79.—Whereas the industrial undertaking known as Messrs New Jehangir Vakil Mills Limited, Bhavnagar is engaged in a scheduled industry, namely, Cotton Textile Industry;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that the said industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the scheduled industry and to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby, appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of—

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dr. K. I. Narasimhan
13, K. A. Subramaniam Road,
Bombay-19 | —Chairman |
| 2. Shri T. S. V. Panduranga Sarma.
Joint Director (Inspection)
Ministry of Law, Justice & Company Affairs,
(Company Law Board)
5th Floor Everest
100, Marine Drive, Bombay-2 | —Member |
| 3. Shri N. G. Radia,
F.A. & C.A.O.,
National Textile Corporation (Gujarat),
Ahmedabad. | —Member |
| 4. Nominee of Government of Gujarat | |
| 5. Shri Indu Shekhar Rao,
Director,
Office of the Textile Commissioner,
Post Box No. 11500, Bombay-20. | —Member—Secretary |

The above body shall submit its report within a period of four weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. 3/1/79—CUC]

P. C. NAYAK, Jt. Secy.